फा. सं. ऐरा/25012/पीईआरएफ-एसटीडीएस/2009/खंड-III

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

*****

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003.

दिनांक: 16.09.2025

<u>सार्वजनिक सूचना संख्या 08/2025-26</u>

विषय: प्रमुख हवाईअड्डों के सेवा और संबद्ध गतिविधियों की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित कार्य निष्पादन मानक तैयार करने के लिए 18.08.2025 को जारी परामर्श पत्र संख्या 03/2025-26 के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाना

प्रमुख हवाईअड्डों के सेवा और संबद्ध गतिविधियों की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित कार्य निष्पादन मानक तैयार करने के संबंध में ऐरा द्वारा 18.08.2025 को जारी परामर्श पत्र संख्या 03/2025-26 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. 10.09.2025 को आयोजित हितधारक परामर्श बैठक के दौरान, प्रमुख हितधारकों, जिनमें हवाईअड्डा प्रचालक, फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) और अन्य उद्योग भागीदार शामिल हैं, से लिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ाने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हितधारकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि समग्र कार्य निष्पादन मानकों के मूल्यांकन और मॉनीटरिंग में व्यापक तकनीकी जटिलताओं और उनकी अच्छी समझ व समीक्षा की आवश्यकता के कारण, ब्यौरे-वार प्रतिक्रिया देने के लिए कम से कम एक से डेढ़ महीने का समय बढ़ाना आवश्यक है।

3. एक मजबूत और संतुलित विनियामक ढांचे को आकार देने में जानकारीपरक और व्यापक हितधारक प्रतिक्रिया के महत्व को समझते हुए प्राधिकरण ने विस्तृत विश्लेषण और टिप्पणियां प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।

4. उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परामर्श पत्र 03/2025-26 पर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बढ़ा दी गई है:

विवरण	मौजूदा तारीख	संशोधित तारीख
हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	24.09.2025	20.10.2025

5. तदनुसार, सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी लिखित टिप्पणियां संशोधित तारीख अर्थात 20.10.2025 तक प्रस्तुत करें।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)